



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

### NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1155/MP/6/2023-APCR

दिनांक: 17/05/2023

1. श्री प्रियंक मिश्रा

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,  
जिला - धार,  
प्रकाश नगर, धार,  
मध्य प्रदेश -454001  
Email Id: [dmdhar@nic.in](mailto:dmdhar@nic.in)

2. श्री मनोज कुमार सिंह

पुलिस अधीक्षक,  
जिला - धार,  
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,  
प्रकाश नगर, धार,  
मध्य प्रदेश - 454001  
Email Id: [spodha@mp.gov.in](mailto:spodha@mp.gov.in)

**विषय:** आशीष मलिक एवं नसीम द्वारा आदिवासी युवक मजदूर सुरेश गोंड की हत्या करने के संबंध में -श्री राम बहादुर, जिला - सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री राम बहादुर से दिनांक 27/03/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन)

अनुसंधान अधिकारी

दूरभाष सं.: 24645826

ई-मेल: [researchofficer-apcr@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-apcr@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री राम बहादुर  
ग्राम -झिलो, पोस्ट- जराहां,  
पुलिस थाना - बीजपुर,  
जिला - सोनभद्र,  
उत्तर प्रदेश - 231223  
मो.: 9076831724